(98)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 429–एक/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 65/निगरानी/2000–01

1–नबाव पिता गप्पू
निवासी सुलगांव
हालमुकाम भट्यान तहसील महेश्वर
जिला खरगौन
2–मुंशी पिता गप्पू
निवासी सदर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

जुम्मा पिता नूरा पिंजारा
निवासी सुलगांव तहसील महेश्वर
जिला खरगौन

.....अनावेदक

.....

श्री बी0के0गुप्ता अभिभाषक–आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/12/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा सरपंच सुलगॉव से इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सुलगांव स्थित भूमि सर्वे नम्बर 313/3 रकबा 8 एकड़ उसके द्वारा पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 12–4–1964 को कय की गई है अतः उसका नामान्तरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि असल विकय पत्र 1973 में आई बाढ़ में बह गया है अतः विकय पत्र की सत्यप्रतिलिपि साक्ष्य में ग्राह्य की जाये । तहसीलदार द्वारा सत्यप्रतिलिपि साक्ष्य में ग्राह्य की गई । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 19–4–2001 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–12–2001 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बाढ में मकान डूबने के कारण दस्तावेज नष्ट हो गये हैं इस कथन को अनावेदक द्वारा अस्वीकार किया गया है अतः तहसीलदार द्वारा बिना साक्ष्य के आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा मूल आवेदन पत्र में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि असल विकय पत्र बाढ में बह गया है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विकय पत्र की छायाप्रति को साक्ष्य में ग्राह्य किया गया है और तहसीलदार के इस आदेश

के विरूद्ध इस न्यायालय में यह तीसरी निगरानी प्रस्तुत की गई है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विक्रय पत्र की छायाप्रति को साक्ष्य में ग्राह्य करने संबंधी समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जो कि वैधानिक एवं उचित होने से उनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण को तहसीलदार के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2001 स्थिर रखा जाता है । निगरनी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर